

जम्हूरियत हिंदुस्तान की शान है -
अख़्ताब जाविर हुसैन सिद्दीकी

हजारीबाग़ । सोमवार को नुतन नगर, हजारीबाग़ मोहम्मद शरीफ़ के अवास पर प्रसिद्ध इस्लामिक स्कोलर इज्जत अल्लामा जाविर हुसैन सिद्दीकी ने एक महान राधा को संबोधित करते हुए परमात्मा के हमारे हिंदुस्तान की शान डेमांकोटिक है, लोकतांत्रिक है, जम्हूरियत है जो हमारे मूलक की शान है। हमारे इस मूलक की आजादी में हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सम्बन्धी यह आज़ादी है कि वह अपने-अपने धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी गुज़ार सकते हैं। अगर कोई हमारी जम्हूरियत को नुक़सान पहुंचता है तो उससे बाज़ू देशद्रोही कोई नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की शान ही है कि हम आजादी के साथ अपने अपने मज़हब अपने-अपने धर्म के बसूलों पर अपनी जिंदगी गुज़ार सकते हैं।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 27

● नई दिल्ली ● मंगलवार 04 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन

● मूल्य: 3 रूपया

● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन
के सदस्य बनें

E-mail :

rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौता दर्दनाक अनुभव बना, कांग्रेस ने ट्रंप का नाम लेकर केंद्र को घेरा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दरअसल, ट्रंप ने एक बार फिर एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को व्यापार के जरिए रोका था। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के साथ होने वाला संभावित व्यापार समझौता अब भारत के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गया है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, एक समय कहा गया था कि भारत नवंबर 2025 में क्राइ (अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह) के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, लेकिन अब वह नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, एक समय यह भी कहा गया था कि अमेरिका के साथ सबसे पहले व्यापार समझौता करने वालों में भारत होगा। वह तथ्यांकित समझौता अब एक कठिनाई बन गया है, जबकि अमेरिका को निर्यात घट रहे हैं और यहाँ रोजगार



खो रहे हैं। मेश ने कहा कि इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने 57वीं बार यह दोहराया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और अप्रत्याशित रूप से कैसे रोका और इसकी पहली घोषणा वॉशिंगटन से हुई, न कि नई दिल्ली से। कांग्रेस नेता ने ट्रंप का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यापार और शुल्क का उपयोग करके भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोका। ट्रंप ने

अमेरिकी टीवी नेटवर्क को दिए साक्षात्कार में कहा, अगर व्यापार और शुल्क नहीं होते, तो मैं यह समझौते नहीं करा पाता। उदाहरण के लिए, भारत हमारे साथ बहुत व्यापार करता है। वे पाकिस्तान के साथ परमाणु युद्ध करने वाले थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होते, तो आज लाखों लोग मारे जाते। उन्होंने कहा, वह बहुत बुरा युद्ध होने वाला

था। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर उन्होंने जल्दी कोई समझौता नहीं किया, तो वे अमेरिका के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने समझौता किया, युद्ध रुक गया। वह परमाणु युद्ध होता। कांग्रेस ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि स्वयंभू 56 इंच का सीना अब पूरी तरह सिमट चुका है और उजागर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग हर दूसरे द्विपक्षीय या वैश्विक सम्मेलन में भारत-पाकिस्तान के साथ-साथ कई और देशों के विवादों को खत्म करने का दावा करते आ रहे हैं। सितंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोका था। भारत ने हमेशा यह रुख रखा है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की समझ दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच सीधे संवाद से बनी थी।

दिल्ली में इंडिया गेट हुआ गायब, आप-कांग्रेस ने कहा, धुंध पर बीजेपी का असली रंग उजागर; शिवसेना ने भी उठाए सवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को लेकर बीजेपी की आलोचना शुरू कर दी है। राजधानी में पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयूआई) खराब और बहुत खराब श्रेणी के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजधानी में धुंधले दिखाई दे रहे इंडिया गेट की एक तस्वीर साझा करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित संरचना गायब हो गई है। आप ने एक पोस्ट में कहा, दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया है। सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ चाहे जितना भी छेड़छाड़ कर ले, इंडिया गेट धुंध के पीछे गायब होकर भाजपा का असली रंग उजागर कर चुका है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोगों के मोबाइल फोन पर अधिकांश एप्लीकेशन सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से डेटा ले रहे हैं। भारद्वाज ने कहा, आप अपने मोबाइल फोन पर जो एयूआई देखते हैं, अधिकांश ऐप्स दिल्ली और केंद्र सरकार के एयूआई निगरानी स्टेशनों से डेटा लेते हैं। यदि आप आईफोन का मौसम ऐप देखें, तो वे केवल सरकारी निगरानी स्टेशनों DPCC, CPCB और IND से डेटा लेते हैं। केवल कुछ ऐप्स के पास अपने स्वयं के निगरानी स्टेशन हैं, जैसे कि अमेरिकी दूतावास। आप और कांग्रेस के अलावा, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी दिल्ली के प्रदूषण को चिंताजनक बताया। ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया, याद चिंताजनक तो असली एयूआई के आंकड़े छिपाने की रणनीतियाँ हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस स्थिति को स्वीकार करने और जलवायु कार्रवाई पर सामाजिक-राजनीतिक सहमति बनाने में क्या दिक्कत है? सौरभ भारद्वाज एक वीडियो में दिल्ली में एक वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी केंद्र के बाहर दिखाई दे रहे थे। वीडियो में, दिल्ली के पूर्व मंत्री ने बताया कि ट्रक दिल्ली नगर निगम के थे। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ट्रक प्रदूषण निगरानी स्टेशन के आसपास दिन-रात पानी छिड़क रहे थे।

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, 7 नवंबर को आएगा फैसला

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को छोड़कर बाकी सभी रायों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव मौजूद रहे। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि वह 7 नवंबर को मामले में फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिथा की तीन जर्जों वाली विशेष बेंच ने दर्ज किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में मौजूद हैं। हालांकि, केरल के मुख्य सचिव की जगह प्रधान सचिव पहुंचे थे, जिसे लेकर आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान बेंच ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वकील से पूछा कि पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया



गया। कोर्ट ने इस मामले में पशु कल्याण विभाग (एनिमल वेलफेयर बोर्ड) को भी वादी बनाए जाने को कहा। इस बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अधिकांश रायों ने अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 7 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही और आदेश दिया कि इस तारीख को मुख्य सचिवों की सशरीर पेशी जरूरी नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उसके आदेश के अनुपालन में कोई कमी की जाती है

तो वह फिर से मुख्य सचिवों को पेशी के लिए बुला सकता है। इससे पहले 27 अक्तूबर को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने रायों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था कि वे तीन नवंबर को अदालत में सशरीर पेश होकर यह स्पष्ट करें कि 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामे क्यों दाखिल नहीं किए गए। उस समय अदालत ने आदेशों का पालन न होने पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि 27 अक्तूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर किसी राय या केंद्र शासित प्रदेश ने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को रायों और केंद्रशासित प्रदेशों से पूछा था कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुपालन के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण समयसीमा बढ़ाने की मांग, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह याचिका दायर की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पीठ ने मामले को बीती 28 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन उस वक्त सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। ओवैसी की तरफ से वरिष्ठ वकील निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। पाशा ने सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ से इस मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील की। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, सशक्तिकरण और विकास के लिए MEED पोर्टल की शुरुआत की थी, जिस पर देशभर में मौजूद सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल विवरण



दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह पोर्टल 6 जून को लॉन्च किया गया था और छह माह के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को इस पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। वकील निजाम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर वक्फ संपत्ति के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग की। पाशा ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह माह का समय दिया गया था, लेकिन पांच महीने का समय तो सुनवाई के दौरान बीत गया और अब सिर्फ एक माह का समय बचा है। इससे पहले 15 सितंबर को एक अंतरिम आदेश

में, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ मुख्य प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें एक क्लॉज यह भी था कि पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। हालांकि अदालत ने पूरे वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कानून से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि नए संशोधित कानून में यूजर द्वारा वक्फ प्रावधान को हटाने का केंद्र सरकार का आदेश पहली नजर में मनमाना नहीं था। यूजर द्वारा वक्फ का मतलब एक ऐसी प्रथा से है जहाँ किसी संपत्ति लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल के आधार पर धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती (वक्फ) के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक, लिखित घोषणा न की गई हो।

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा की याचिका दूसरे पीठ के पास भेजी, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माक़सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) की उस याचिका को दूसरी पीठ के पास भेज दिया, जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी झंडे के डंडे (फ्लैग पोल) हटाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला जस्टिस जेके मोहेश्वरी और जस्टिस विजय बिरनोई की पीठ के सामने आया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका

पहले जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनी गई थी। इसलिए यह मामला उसी पीठ को भेजा जाए। अदालत ने कहा, इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश लिए जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले अपने एक आदेश में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को निर्देश दिया था कि वे 12 हफ्तों के भीतर सार्वजनिक स्थलों से अपने स्थायी झंडे के डंडे हटा लें। हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान जनता की संपत्ति हैं और उनका

राजनीतिक या निजी उपयोग नहीं किया जा सकता। सीपीआई (एम) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पार्टी मजदूर वर्ग की अग्रणी संगठन है और झंडे जैसे प्रतीक उसके जनता से जुड़े रहने का माध्यम है। इसके साथ ही पार्टी का तर्क था कि हाईकोर्ट का यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार का उल्लंघन करता है और यह न्यायपालिका की तरफ से किया गया अनुचित कानून निर्माण है। अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें

बदलाव किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को तेलंगाना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और व्यवस्था का मजाक करार दिया। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ एक कॉलेजियम बैठक के लिए तीन वरिष्ठतम (उच्च न्यायालय) न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन करूंगा... आपने उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन और आवेदन करने के बारे में कहा सुना है? यह व्यवस्था का मजाक है! न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की भी पीठ, जीवी सरवन कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को भी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिका अदालत के समक्ष कभी नहीं लाई जानी चाहिए

थी। वकील ने खेद व्यक्त किया और याचिका वापस लेने की मांग की। इसके बाद याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के अलावा, याचिका में प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, लोकसभा में विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य को पक्षकार बनाया गया था। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली की तरफ से संचालित होती हैं, जिसमें न्यायिक और पेशेवर साख के आधार पर न्यायाधीशों की सिफारिश की जाती है।

कम उपस्थिति के कारण विधि पाठ्यक्रम के किसी छत्र को परीक्षा देने से न रोका जाए: दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि देश में विधि पाठ्यक्रम के किसी भी छत्र को न्यूनतम उपस्थिति न होने के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। उच्च न्यायालय ने विधि महाविद्यालयों में अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता से संबंधित कई निर्देश जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीबीआई) को उपस्थिति मानकों में बदलाव करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि कम उपस्थिति के कारण छत्र को परीक्षा देने से रोकित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतीभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति शर्मा को पीठ ने यह आदेश स्वतः संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए दिया। 2016 में विधि के छत्र मुंबई रोहिल्ला की आपत्तिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह याचिका शुरू की थी। रोहिल्ला ने कथित तौर पर अध्ययक उपस्थिति न होने के कारण सेमेस्टर परीक्षा देने से रोक देने के बाद अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। पीठ ने कहा, सभी पक्षों को दलीलों और मामलों आई वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना ​​है कि सामान्य शिक्षा और विशेष रूप से विधि शिक्षा में ऐसे कठोर नियम नहीं होने चाहिए, जिससे छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो। मुंबई रोहिल्ला एमिटी विधिविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्र थे। उन्होंने 10 अगस्त 2016 को आत्महत्या की थी। बताया जाता है कि उन्हें कथित तौर पर अध्ययक उपस्थिति न होने के कारण सेमेस्टर परीक्षा देने से रोक दिया गया था। रोहिल्ला ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वे निराश महसूस कर रहे हैं और जीवित नहीं रहना चाहते।

पूर्वी दिल्ली में एनआरआई महिला का बेग छीनने वाले दो व्यक्ति पकड़े गए

नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एनआरआई (अफगानी भारतीय) वंशज नागरिक से हैडबैग छीनने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय रोहित और मकूल (24) के तौर पर हुई है और उन्होंने 28 अक्टूबर को ब्रिटेन से आई महिला को निशाना बनाया था। एक वॉरंट पुलिस अधिकारी ने कहा, जब वह पैदल जा रही थी, तो दोनों मोटरसाइकिल पर आए और उनका हैडबैग छेनकर भाग गए। अधिकारी ने कहा, अपराध में प्रत्युक्त मोटरसाइकिल, सैने के आपाण, 135 पाउंड (ब्रिटेन की मुद्रा), पोंड्रा का मोबाइल फोन, पर्स, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज उनके कब्जे से बरामद किए गए। मामले दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। अधिकारी ने बताया कि 15 किलोमीटर के मार्ग पर लग्गे 150 से अधिक मोमोटोबो कैमरों को फुटले खंगाली गई और फिर मुआंनिर को सूचना पर दोनों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि फुछाछ के दौरान आरोपियों ने गुर्ग ककूल करते हुए कहा कि वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने महिला को निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह एनआरआई है और उसके पास संपत्ति: कीमती सामान है।

ओआरएस लाईज वाले पेय पदार्थों की बिज्जी पर प्रतिबंध बरकरार, हाईकोर्ट ने खासिज की आदेश के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है जिसमें किसी भी फल-आधारित, गैर-कॉफीनेटेड या रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ पर ओएल रिहाइजेशन साल्ट (ओआरएस) लेबलिंग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि एफएसएसआई द्वारा उठाए गए कदम गंभीर जन स्वास्थ्य चिंताओं से प्रेरित हैं और वे पूरे खाद्य उद्योग पर लागू होने वाले नियामक उपाय हैं। न्यायमूर्ति सीजन दत्ता ने 31 अक्तूबर को पारित एक आदेश में एफएसएसआई के 14 और 15 अक्तूबर के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में यह न्यायालय एफएसएसआई द्वारा 30 अक्तूबर, 2025 को पारित आदेश में विवादित आदेशों पर रोक लगाने के लिए दख्ख नहीं है। यह विशेष रूप से ओआरएस फॉर्मिलेशन की चिकित्सीय आवश्यकता वाले लोगों द्वारा आपाजितक उपपदों के सेवन में होने वाले हानिकारक प्रभावों और प्रतिफल स्वास्थ्य परिणामों के मद्देनजर है। अदालत ने आगे कहा कि न्यायालय को जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एफएसएसआई द्वारा उठाए गए कदम पर अपील करना उचित नहीं लगता। अदालत ने डॉ. रहुज लेबोरेटरीज लिमिटेड को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एफएसएसआई के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके ओएल रिहाइजेशन सॉल्यूशन बांड रेकलाउड विटामिन के लिए ओआरएस लेबल के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। कार्यवाही के दौरान, फार्मा कंपनी के क्लीन ने बयान दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादों के नए स्टॉक का निर्माण बंद कर दिया है। दशवसाल 14 अक्तूबर को एफएसएसआई ने एक आदेश जारी कर खाद्य और पेय पदार्थ कंपनियों को उत्पाद के नाम या ब्रांडिंग में ओआरएस शब्द के उपयोग की सभी पूर्व अनुमतिवां बंद ले ली जब तक कि वे मानक चिकित्सा फॉर्मिलेशन को पूरा न करें। खाद्य सुरक्षा नियामक ने शर्कतीयुक्त या इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों की ब्रांडिंग में ओआरएस के इस्तेमाल को उपाधिकाओं, खासकर बच्चों के लिए आमक और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उद्देश्य माना है।

किराए के मकान से बाहर आएंगे 18 थाने, पुलिस को मिलेंगी अपनी इमारतें; 653 करोड़ खर्च होने निर्माण में

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस के 18 पुलिस थानों की जल्द ही अपनी बिल्डिंग होगी। इसके लिए जमीन मिल गई है और केंद्रीय गुप्तचरालय ने भवन बनाने की अनुमति भी दे दी है। थानों के लिए बिल्डिंग बनाने में कुल 653 करोड़ होने खर्च होंगे। परियोजना पूरा करने का निष्पाद स्ट्रुत पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट (सीपीडब्ल्यूडी) को दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पुलिस के 26 प्रोजेक्ट को अगली जाणा पुराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 18 पुलिस थानों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 653.46 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च की मंजूरी दी है। इनमें से कुछ थानों की बिल्डिंग जरूर हो चुकी है तो कुछ किराए की इमारत में चल रहे हैं। जेतपुर थाना इनमें सबसे महंगा है, लेकिन अन्य थानों का भी किराया लाखों में है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 18 पुलिस स्टेशनों की बिल्डिंग के अलावा इस रकम से पुलिस की सत नई नीकियां भी बनाई जाएंगी। ये नीकियां किराए के मकानों में चल रही हैं। इसी तरह रोहिल्ली में पब्लिक स्ट्राफ के लिए एक वमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, जो सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। पुलिसकर्मियों को बेहतर आवास की सुविधाओं के मद्देनजर 15 पुलिस स्टेशन के परिसरों में कुल 180 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिसमें हर कॉम्प्लेक्स में 12-12 फ्लैट्स बनाने की योजना है। कई अन्य छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिन्हें इस रकम के जरिए पूरा करने में मदद मिलेगी। किराए की इमारतों में चल रहे पुलिस स्टेशनों की वजह दिल्ली में जमीन की कमी बताई जा रही है। इसकी वजह से दिल्ली पुलिस पर मासिक खर्च बढ़ता है। स्टेशनों की बुनियादी ढांचागत स्थिति भी प्रभावित होती है। कई स्टेशनों के लिए सरकार नई इमारतें बनाने की योजना बना रही है। भारत नगर, शाहबाद डेरी, प्रेम नगर, स्वरूप नगर, भलरावा डेरी, जेतपुर, सोनिया विहार, फतेहपुर बरी, छवला, कराल नगर, निहाल निहार, रणद्वेला और तिगडो थाने किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं।

सख्ती से निपटा जाएगा, 3 हजार करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को डिजिटल अरेस्ट से सख्ती से निपटने की बात कही है। इन मामलों में सख्तबर निमित्तल लोगों को नकली सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी या फिर जान अधिकारी बनकर सामक्य नुजाओं को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और पैसों ऐंते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ितों से लगभग 3 हजार करोड़ रुपये वसूले गए हैं और यह सामस्या आगे बढ़ने वाली है। जस्टिस सूर्यकंत की अनुप्राई काली बेंच ने कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर राभी पांठियों को सुनगा और एक न्यायमंत्र, वरिष्ठ क्कोल एगारस गणपई की निर्णय करेगा। मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस सूर्यकंत ने कहा, यह नीकाने काया मामला है कि अकेले हमारे देश में पीड़ितों से लगभग 3,000 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। अगर हम इसे अभी नउदवान करते हैं और कड़े और सख्त आदेश पारित नहीं करते हैं तो सामस्या और बढ़ जाएगी। हम इससे सख्ती से निपटने का फका इरादा रखते हैं। ब्रिटीशमिटर जनल टुपार मेहाज ने कहा कि समसे दुखद बात यह है कि पीड़ित खासकर बजुर्ग लोग हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह मंत्रालय में एक स्पेशल यूनिट है जो ऐसी शिकायतों की जांच कर रही है। उन्होंने विस्तारित रिपोर्ट फाइल करने के लिए समय की मांग की।



नई दिल्ली । किराडी जिला काग्रिस कमेटी ने सुल्तानपुरी के जलेबी चौक पर प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए मास्क वितरण व, विरोध प्रदर्शन, जिला महासचिव, विजय कुमार भारती, राहुल और वरुण छका, रियाज खान, नवी बल्ला ठेकेदार, ओम प्रकाश राठौर, सुलेमान सलमाना, मुकेश राणा, प्रदीप कुमार (घांमु), सोनू प्रधान ,पंकज अग्रवाल, वाई,42,43,44 के ब्लॉक अध्यक्ष, प्रमोद पंचल, दीपक चुनौलाल, चंदन सिंह, सहित काग्रिस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए । छया = आकाश शक्व

हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने औसत बिलिंग मामले में उपभोक्ता को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के लिए निर्देश

चंडीगढ़ ।

हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने एक उपभोक्ता को पाँच वर्षों से अधिक समय तक औसत आधार पर बिल जारी किए जाने के मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने कहा है कि यह अव्यत खेदजनक है कि इतने लंबे समय तक उपभोक्ता को वास्तविक रॉटिंग के आधार पर बिल नहीं दिया गया और यह मामला निम्नों की समीक्षा प्रणाली से बचा रहा। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पाया कि यह कोई एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि इस प्रकार की शिकायतों पर पूर्व में भी अनेक बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने अपने पूर्व आदेशों में येनो निम्नों के प्रबंध निदेशकों को इस प्रकार के लंबे समय तक औसत बिल जारी होने वाले मामलों में रहत या वसूली नीति तैयार करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने टिप्पणी की कि जब पुराना निगमों और प्रणाली उपलब्ध हैं, तब भी उपभोक्ताओं को वर्षों तक औसत बिल पर चार्ज करना निम्न की साक्ष को धुमिल करता है। आयोग ने यह भी माना कि उपभोक्ता वास्तविक खपत के आधार पर भुगतान करने का उत्तरदायी है, किंतु

श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में दे योगदान : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा सचिवालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों में आयोजित निबंध लेखन एवं 'सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की' प्रतियोगिता का वसुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के अद्वय साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नभन करते हुए कहा कि गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और मानवता की अनुपम मिसाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुलार, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनोद गर्ग, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की महानिदेशक श्री के.एम. पांडुरंग, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री प्रपलीन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारों उपस्थित थे। प्रदेश के विभिन्न स्कूल वसुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े मजनीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों से संवाद करते



***श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशभर में निबंध व कहानी प्रतियोगिता का किया वसुअल शुभारंभ**

***हरियाणा के विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद**

आह्वान किया कि वे प्रतियोगिता में पूरे मन से हिस्सा लें और श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, सहिष्णुता, समझता और न्याय के संदेश को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने कहा कि आज की तकनीकी पीढ़ी को खेसल मीडिया और अन्य माध्यों का उपयोग मानवता, करुणा और भाईचारे का संदेश फैलाने में करना चाहिए। वरी श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रति सच्चे ब्रह्मचरित होंगे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने कर्म और विचारों से राह को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। वरी इस प्रतियोगिता का सचा उद्देश्य है।

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जल्द मिलेगी रिंग रोड की सुविधा- मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ ।

ब्रह्मजुओं की बहादी तावद को देखते हुए कुरुक्षेत्र में रिंग रोड की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसकी डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि जारी की , जिससे धर्मनगरी को नया स्वरूप मिल रहा है। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा निवास में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रकटार्ग द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गीत की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए और इसी पर कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अनेक कर्मों को अमलीजगमा फरनावा है। आज धर्मप्रेर कुरुक्षेत्र में न केवल देश से बल्कि विदेशों से

कुरुक्षेत्र अब सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि वैश्वक अक्षर्यण का केंद्र बनेगा। इस परियोजना के तहत कुरुक्षेत्र के अलावा पिंजौर में पिंजौर गार्डन के जीर्णोद्धार के साथ टिक्टर ताल को भी सौंदर्योत्तरण करने की योजना पर सत्कार काम कर रहे हैं। एक प्रस्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाभारत योग पर धर्मनगरी सज रही है, मुख्य चौगडों का नामकरण महाभारत के पात्रों के नाम पर किया जा रहा है। पूरे शहर में महाभारत कालीन चित्रकारी कारवाई जा रही है। इससे अनेक कले ब्रह्मजु और पर्यटक उस युग की रोचक घटनाओं को जीवंत रूप में अनुभव करेंगे। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी जाननंद जी महाराज, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुलार , सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के पीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने अम्बाला को दी पांच और नई एसी ई-बसों की सौगात, कुल 15 बसों से अब लोकल सफर बनेगा कूल और ग्रीन

चंडीगढ़ । हरियाणा के परिवहन



बसों के रुट पर 23 आधुनिक बस वसु शेल्टर का भी हो रहा निर्माण, बैठने की व्यवस्था के साथ पंखे व लाइट की सुविधा भी होगी : अनिल विज

अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला में लोकल बस सेवा को लगभग 25 वर्षों बाद पुन प्रारंभ किया जा सका है। श्री विज ने बोते वर्ष 1 नवंबर को 10 मिनटी बसों के साथ परिकलन सेवा को शुरुआत की थी। इसके बाद इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को लोकल बस सेवा में 5 इलेक्ट्रिक एसी बसों को शामिल

किया गया था। अम्बाला में इन रुटों पर चल रहे लोकल बस सेवा यात्रियों के लिए 23 स्थानों पर आधुनिक बस वसु शेल्टरों का निर्माण शुरू : विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि लोकल बस सेवा का लाभ अधिक से अधिक यात्रियों को दिया किसी दुख तकलीफ के मिले यही हमारी प्रार्थनाकता है। सड़क-गरी और बसरात के मौसम भी यात्रियों को विकात न हो इसके लिए अम्बाला खनवों में नगर परिषद द्वारा 23 स्थानों पर आधुनिक बस वसु शेल्टरों का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिक वसु शेल्टर बैठने के अलावा लाइट व पंखे की व्यवस्था से युक्त होंगे।

नई दिल्ली ।

भज्जना नेता इन मुद्दों पर चुप है जन्तु चाहती है समाधान, लेकिन भज्जना दिखावा कर रही है। खाद्य ने इस भज्जना का राजनीतिक एजेंडा बताया और कहा कि सरकार विकास को बचाय भावनात्मक मुद्दों के सहित राजनीति कर रही है। करीम ने बताया कि इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भज्जना साहित्य को इस मांग को हलसाफ़ बताया है। उन्होंने कहा, जे



उन्होंने कहा कि पिछले आठ महीनों में भूज्या में कोई ठोस काम नहीं किया था। वे कह चुकते हैं कि पहले महिलाओं को 2500 रुपये और 500 रुपये में पैम मिले। दे देना का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी को पायदा नहीं मिला। सबकुछ सिर्फ वादों में खोता रह गया। उन्होंने यह भी जोड़ कि दिल्ली सरकार ने रिश्तेदारों को भर्ती में उस सीमा घटाकर हजारों

हैदराबाद :

घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सी पी
राधाकृष्णन ने सोमवार को
तेलंगाना में सड़क दुर्घटना में लोगों
को मौत होने पर शोक व्यक्त किया

और गायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना में लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया।

और मृतकों के परिवार को दो-दो लाख रुपये एवं घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की।

सम्बन्धवादा पुलिस आयुक्त अविनाश मोहनो ने बताया कि दुर्घटना में दोनों बहनों के चालकों को भीत से दौड़ा। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की टक्कर तब होती है जब कोई वाहन गलत दिशा में होता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना का कारण जांच के बाद पता चलेगा। बस पर बजरी गिरे से कई यात्री बाहर के अंदर फंस गए और अधिकारियों ने मशीनों को मदद से बचाव एवं राहत अभियान चलाया। पुलिस के एक अधिकारी

ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को वाहन से बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को और से जांच एक बयान में कहा गया, "तेलंगाना के रंगरेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत सेवानुसार हो सकती है। इस कतिन समय में मैंने सेक्टर-एन प्रभाकर लोंगी और उन्हे परिवारों के साथ है। धायलों के शोध स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।" बयान में कहा गया है, "प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। धायलों की 50-50 हजार रुपये दत्त जाएगी।"



काटिहार ।

बिहार के कटिहार जिले में चुनावों के जन्मसंघा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कृषिस पर जबरन मिथाना साधने वाले लोगों को कृषिस के नामवर ने छुट मतहण को इसलिए भी झुमन बतलया तकि बिहार के लोग आरजेडी पर मुमसा धारें और आरजेडी को पारजित करें पीएम मोदी ने आरोपण लणया कि आरजेडी ने कृषिस को कट्टर दिखाकर सीएम का नाम भी

पोषित कर दिया, आरजेडी के पोस्टर्स से पूर्ण सीमा लालू यादव की तस्वीरों के गायब होने पर पीएम मोदी ने जमकर निन्दा स्रष्टा, उन्होंने कहा, आरजेडी काग्रेस के पोस्टर्स को देखा, वो (लालू यादव) क्यों यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगलराज लाए, उन्होंने तस्वीरें या वो पोस्टर्स में गायब हो या छेदी सी लगती है, जो दूसरों से भी नहीं दिखती। अपने जित्त का नाम लेने में शर्म क्यों आ रही है? क्यों सा पाप है, जिससे आरजेडी वालों को बिहार के

नेत्रजन्मो से छिपना पड़ रहा है, कर्मिण पर विमर्श समर्थ हो पाए। पोषण को वे कष्ट, जो विद्वार्थियों को प्रग्राहित करते हैं, जो विद्वार्थियों को पालिश देते हैं, उनको कर्मिण ने प्रत्यक्ष के लिए नृत्तय तानिक आरखेदेई को अग्रिम भूषण का सम्मान करने दे। कर्मिण जानती है कि अगर इस बात पर आनेदेई तर धई तो उसमिनी रावनीजोई खतम हो जायेगी और कर्मिण अपने (आनेदेई) वेड बैक पर कब्जा कर लेगी, पोषण मोटी ने कष्ट, अगर-अन्तग एयों में कर्मिण के नेत्रजोई से बिस्तर के लोणी के लिए जानमन्त्रकन अपमानजनक बातें

नौतुल में जा खाँ है केरल के कौमिल नौतुल में बिहार के लोगों को तुलना-मोटी से कर दो, ये भी कौमिल को रणनीति का हिस्सा है। विश्व पर निशाना साधते हुए पोषण मोटी कहते, ये लोग वोतू पाने के लिए मुझा से छिक्कावड़ा कर रहे हैं। आपके कल का अजान ये घुसपिन्धियों को देना चाहते हैं। भारत के संसदों पर सिर्फ खाँ के नागरिकों का हक है, लेकिन कौमिल और आरखेड़ी के लोगों को कड़वा और कड़पेड़ी ही पदम है। इस दौरान पोषण मोटी में सोषण नौतुल कुमार के बिस्व कर्मों को भी भिनाश उठते-कल, नौतुल कुमार के नौतुल में मुख्यमंत्री मोहित गैंगवार कोषण से बिहार को बनने के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुँच रहे हैं अथा कल 1.40 करोड़ बनने के खाते में पैसा आ चुका है। डकल इनकी पाँचवी सरकार का बहुत बड़ा फायदा है, फायदा ये है कि दिल्ली और पटना से निकला एक-एक रुपया सोषण आपके खाते में आता है। कोई जोर-लुटने लुट नहीं सकता।

सीतामहली। कांग्रेस कृमि मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सफल करते हुए कृत कठि उत्करी सीतामहली ने बिहार को जंगल राज से मुक्त दिलाई और वंशवाद का अंत किया। उन्होंने शब्द के लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार तथा कविसे नेतृत्व पर अपने वंशों को सता में बिजनेस का प्रयास को का आरोप लगाया। सीतामहली में एक जस-साया को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को जोड़ी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त दिलाई है। हमने वंशवाद का अंत किया। लालू जी और चम्पू जी! अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाये। सीनिया गांधी अपने बेटे को देश का

पापमन्त्री बनकर चाहती है। लेकिन अगर सोनिया जी की यह बातें अरुण जी को कुछ मुहल्लों की बेमेल और न बेमेल प्रभावित हैं। क्योंकि बिहार के मुन्सिफों को देखो मोदी जी दिल्ली (केन्द्रीय) अपने फल्ले के बयानों को दोहराएंगे कि हमारे नेता खुल्ले गांधी की हानियाँ यावा पर हमला बोला और इसी पुस्तक बनाया। हमने न कहा, खुल्ले गांधी ठीक थे। उन्होंने मुन्सिफों या बच्चों यावा सीमा के पास स्थित है। यह नेपाल में बहाइए, क्या बाँफादेशी धुरप्रतियों के मतलब सूची से नहीं हटायें जाना-मनवानों के अन्तर्गत का हिस्सा हटायें वे गैरगांधी हैं। लेकिन वे हैं और जो बाँफादेशी हैं। उन्हें देख दो और बिहार का मुन्सिफों अधिकार नहीं है। केन्द्रीय गुप्त मन्त्रालय का बिहार के पुरा बिहार का करेज बिना अपने बिहार नवसम मुन्सिफों के कर्तव्य सत्ता में हैं। बिहार के प्रभावित हैं। मतदान दोषध 3 बनें और अर्धकाली पुरा बिहार शायद 5 करेज। क्योंकि अब बिहार नवसम मुन्सिफों बिहार विधायकशाही के लिए मत नवंबर और 11 नवंबर को होगा है, 14 नवंबर को होगा।

मया मया है। शौतलह है कि
सुखरुद्र वृषभुन कपिस और
मुक्तमन्त्री ममत बननी है
एकरमई और पंजिया का वलुनर
विरघे क्रिय है। मुक्तमन्त्री ममत
बननी है यह भी शीघ्रता की है कि
हक अपनी आफत दन करने के
लिए ममतमन्त्री (4 नंबर) को
कोलभता में एक बि शात विरघे
मार्च का नेजल करेगा। नूनर
आयोग ने हाल ही में घोषणा की है
कि अपने साल होने वाले नूनरों
के महेनजर पश्चिम बंगाल समेत 12
गुण और केन्द्र शासित प्रदेशों में
विरघे गहन पुनरीक्षण का दूसरा
चरण चलाया जाएगा।
एकरमई और 4 नंबर से 4 दिसंबर
तक चलेगा। 9 दिसंबर को ममतता
सूची का ममीय प्रकृति क्रिय
जानेगा और 7 फरवरी को अंतिम
सूची जारी की जाएगी।

सहस्राक्ष काठिनस महाशयिन्व प्रियंका गांधी वाढा ने सोमवार को प्रधमनमंरी नरेन्द्र मोदी पर कटुतर कडो कडो ह्वागार कडो कडो कडो अलग से एक 'अपमगन' मंगलार बागार चाँदिए ताकि यह बार-बार 'अपमगन' को सुचियार बनने में हो सगमय बंदीत करे है, वो न करे। नुनैने बिगतर के सहस्राक्ष जिले के सोमनसरा में एक नुनैने सभा को संबोधित करत ह्वा यह दवा भी कियार कि प्रधमनमंरी नुनारो सभाओ में गम को बात नहै, बलिक लिखार देली पर 'अपमगन' करने के अलगो तरात है। प्रियक गांधी ने यह भी कडो कि बिगतर को सक्सर मुडगार नौतीश कुमर नहै, बलिक केंद्र चला रह है। उन्नीन मुडगार 'प्रधमनमंरी' और गृह मंत्री द्देशरा अतौत को बात करत है ये लोग द्देशरा कहीं न कहीं से क्लिमी के अपमगन को बात निगल लेत है। काठिनस से क्लिमी कडो कि बिगतर ने

कॉन्ट्रैक्ट का अयमन किया। पंडित पंडित बंगाल के अयमन की बात को है विपक्षी देश बिहार का अयमन-नेता 'प्रधानमंत्री पर तंज के कलम' है कि प्रधानमंत्री एक नया मंत्रालय नाम 'अयमन मंत्रालय' तब तक कि वह एक बड़े-नये सूचीय निकाय के है, उसमें गाँधी देश, अयमन (बिहार) बनाएँ, वह 'अयमन मंत्रालय' बना देना किया कि जिसमें 65 लाख करोड़ काट दिए गए, जिसका उल्लेख अधिकार खतम कर दिए गए। अयमन जनता को बड़े सारे अधिकार देता है जन्मा को आपके पास कुछ नहीं बनाये के खिलाफ बहुत बड़े साक्ष्य बिहार सरकार की महिलाओं के है। हमारा देश हुए कहा, 'नेटवर्क मोदी बिहार चुनाव से अपने घर पहले भी रुपये दे के की ओषणा करते हैं। ये रुपये से कहाँ हैं? उन्होंने आरोप लगाना दत्त (रु) की नौकर साक्ष्य ने महिलाओं का आह्वान करते हुए को पहचानें। हमारे 10 हजार रुपये अपना बोले हमारे 10।

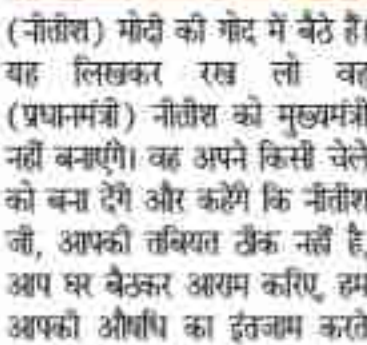
दर्शनम्। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश के दूरदर्शन पर एक जनसम्मेलन के दौरान ईश्वरी शक्ति पर तीव्रता से बोलते हुए कहा, अपने मातामाता गोपी के तीन दर्जन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज ईश्वरी शक्ति के बारे में तोना बंद हो गई, एम्पू, एम्पू और एम्पू। उन्होंने अंगी बताया, एम्पू सच नहीं बोल सकता, एम्पू सच नहीं देख सकता और एम्पू सच नहीं सुन सकता। सोमवार योगी ने कहा कि युवा नेता एम्पू सच कहें के तहत हुए विकास कार्य को देखें, सुन या बोलें नहीं सकते, इसलिए यक्षिण सुभाषा पर पीता हो गई। एम्पू सच यक्षिण यक्षिण के तहत एम्पू सच कहें के तहत हुए विकास कार्य को देखें, सुन या बोलें नहीं सकते, इसलिए यक्षिण सुभाषा पर पीता हो गई। एम्पू सच यक्षिण यक्षिण के तहत एम्पू सच कहें के तहत हुए विकास कार्य को देखें, सुन या बोलें नहीं सकते, इसलिए यक्षिण सुभाषा पर पीता हो गई।



उन्हीं नीतियों ने ही इसे एक विवादित क्षेत्र बना दिया। सीएम योगी ने कहा, कांसिस ने ही करपीर को विवादित बनाया। आज पीएम मोदी और अमित साह के नेतृत्व में करपीर अंतर्ज्वर से मुक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अभियान के बारे में खबर पढ़ी थी जो 27 साल बाद हो करपीर का था। उन्होंने कहा, वह कांसिस का

यप था कि हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। अब मिथिला और बिहार के लोगों की वही शक्ति से रह सकते हैं। सैम्येय योही ने विश्वेश्वर दत्तों पर सम-विशेषों होने और हिंदू अस्था का अन्तर करने का आग्रह लगाया। उन्होंने कहा, काँग्रेस ने कभी भ्रमजन्य और भाला जालन्ही के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने लोगों की आस्था से क्लिष्ट रह गया और वही तक कि सुभाष चंद्र बोस ने हलफनामा द्वारा कर उनके अस्तित्व को नकार दिया। उन्होंने अपने कलम कि गदने ने यम रथ यात्रा ऐक्य की कोशिश की और समानजन्तुता पाटी ने अग्रेश्येय में यम भस्त्र पर गौरीबाई का आदेश देकर फकिर नगरी को खून से लाल कर दिया। उन्होंने आग्रह लगाया कि भारतीय जनता फटी परिवार माँगीया का समर्थन करे और पुरस्कारियों को अप्रतिष्ठ करके बिहार की सुभाष में सौंय लगाने का काम कर रहे हैं।

वैशाली। कापेस अध्यापक
लक्ष्मणन् स्वयं ने संभवतः का
क के मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार
भूमी के लालच में' सम्भावित,
पूरी ठकुर तथा यममोह लोडिंग
पूले का आशय लगाया और
वह किया कि वह प्रधानमन्त्री ने उद्
क की 'घेद में बैठे हैं', लेकिन
उन्हें मुख्यमन्त्री नहीं बनाने का
उद्देश्य बिहार के वैशाली जिले के
लाल पाकट विधानसभा क्षेत्र में एक
क के सम्बंधित करते हुए कहा कि
ने नीतीश के दिल में दर्जित।
उन्होंने और अति पिछड़े के लिए
हल होती जो वह भाषण जता
(भाषण के साथ कभी नहीं
हो।) सजने ने कहा, 'अब ये



हे!" उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालच में समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया को भूल गए। खरौ ने कहा, "नीतीश कुमार कुर्सी को फाड़कर बैठे हैं, वह नहीं छोड़ना नहीं चाहते।" उन्होंने दावा किया कि यदि नीतीश के दिल में पिछड़े, दलित और आदि

पिछड़े के लिए जगह होती तो वह उस भाजपा के स्थान पर नहीं जाते जो नमस्मृति में विभास करती है। करियम अस्थिर ने प्रधानमंत्री मोदी के विचार में कई समझाए करने पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री ऐसे धूम रहे हैं कि मानो उन्हें बच्चे की साद्री हो।' उन्होंने कहा कि किसान, तालुका और विधानसभा, सभी चुनाव में प्रधानमंत्री धूमते रहे हैं। खरगे ने कहा कि केंद्र के स्तर पर 50 लाख सखारों पर खाली है, लेकिन किसान में एक करोड़ नौकरों देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में विचार से लोगों का बड़ी संख्या में फायदा होगा है।

नई दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी और न्याय अयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल जनहित याचिका में मांग की गई है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने उद्देश्य, नियम, कार्यदो की जानकारी आधिकारिक वेब पेज पर प्रकाशित करें। याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियों को नवम्बरदेई और पर्यटनित तय की जाए। यह याचिका वरिष्ठ कर्मी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की।



सुलेट करने के लिए एक जन्तिल
योजना दायर की है। जब तक संसद
इस पर कोई कानून नहीं बनाती, तब
तक सुप्रीम कोर्ट को दिवा-निर्देश
बनाने चाहिए। अदालत ने चुनाव
अयोग्य और केंद्र सरकार दोनों से
जवाब मांगा है, क्योंकि अभी इस
मामले से निपटने के लिए ऐसा कोई
कानून नहीं है। योजना पर सुनवाई
करते हुए जस्टिस सूर्यकांत
जैटिस जयमाल्या बाबजी को पीठ
ने चुनाव आयोग, कानून मंत्रालय
और कानून अयोग को नोटिस जारी

किया है। याचिका में मंग को यह है कि चुनाव आयोग, जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29बी और 29सी को लागू करने के लिए अपनी शक्तों का इस्तेमाल करे। याचिका में कहा गया है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक पार्टियों के ईर्ष्या-पिर्द रहती है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां लगातार जनता की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से जुड़ी होती हैं, ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही तय हो।